



Neutral Citation No. -2026: AHC:126059

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या -19464/2026

सतेन्द्र सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: रघुवंश मिश्रा

विपक्षी के अधिवक्ता

: अम्बरीश कुमार कश्यप, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री रघुवंश मिश्र तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री शिव दत्त शुक्ला को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया। सूचक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर लिया जाता है।
2. वर्तमान जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत दायर किया गया है, जिसमें आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 117/2026, अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 131, 118(1), 115(2), 351(2), 110, 105, 333 एवं 3(5) बी.एन.एस., थाना-जसराना, जनपद फिरोजाबाद में दर्ज में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार 6 नामजद एवं 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रथम सूचक पक्ष पर कठोर एवं कुंद वस्तुओं से हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रथम सूचक पक्ष के चार व्यक्ति घायल हुए तथा घायल मीना कुमारी की घटना के तीन दिन पश्चात मृत्यु हो गई। यह भी तर्क दिया गया कि घायल व्यक्तियों के संबंध में किसी विशिष्ट व्यक्ति को कोई विशिष्ट भूमिका आरोपित नहीं की गई है तथा केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं। आगे यह भी कहा गया कि आवेदक पक्ष के दो व्यक्तियों को भी उक्त घटना में चोटें आई थीं। यद्यपि, क्रॉस एफ.आई.आर. पंजीकृत नहीं की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



गई है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(4) के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र दायर किया गया है, जो विचाराधीन है। यह भी कहा गया कि आवेदक दिनांक 08.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया कि न्यायालयों में वादों के अत्यधिक लंबित होने के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

4. वहीं दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया तथा यह प्रस्तुत किया कि एक घायल को घातक चोटें आई थीं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह भी प्रस्तुत किया गया कि लोकेन्द्र एवं अजीत कुमार नामक दो नामजद व्यक्तियों तथा तीन अज्ञात व्यक्तियों को विवेचना में दोषमुक्त कर दिया गया है।

5. वहीं दूसरी ओर, प्रथम सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया तथा यह कहा कि एक घायल को घातक चोटें प्राप्त हुईं, जबकि अन्य तीन व्यक्तियों को भी चोटें आईं, जिनमें से एक चोट गंभीर प्रकृति की पाई गई। इसके अलावा यह भी कहा गया कि आवेदक एवं सह-अभियुक्तों को सामान्य भूमिका आरोपित की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि घायल मीना कुमारी अपनी चोटों के कारण मृत्यु को प्राप्त हुई।

6. एफ.आई.आर. के आरोपों के अनुसार, 6 नामजद एवं 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रथम सूचक पक्ष पर कठोर एवं कुंद वस्तुओं से हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप चार व्यक्ति घायल हुए तथा घायल मीना कुमारी की घटना के तीन दिन पश्चात मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतका मीना कुमारी को दो चोटें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से एक सिर पर थी तथा मृत्यु का कारण जीवनकालीन सिर की चोट दर्शाया गया है। मृतका को लगी घातक चोट किसने पहुँचाई, इस संबंध में आवेदक के विरुद्ध कोई विशिष्ट भूमिका आरोपित नहीं की गई है। आवेदक दिनांक 08.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

7. सभी तथ्यों, प्रकृति और अभिलेख से सामने आए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद तथा मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत प्रदान किए जाने योग्य मामला मानता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **सतेन्द्र सिंह** को ₹1,00,000/- के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर,



संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

- (i) आवेदक किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों के प्रकटीकरण से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर किसी प्रकार का दबाव अथवा भयभीत नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) सुनवाई शुरू करने, (2) आरोप विरचित करना और (3) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक प्रतिज्ञा-पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्ष्य हेतु गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, तब वह अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेगा।
- (v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी केवल वर्तमान जमानत आवेदन के निर्णय तक सीमित होगी तथा इसे मामले के गुण-दोष पर किसी राय के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश की किसी टिप्पणी से प्रभावित हुए बगैर साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा।

विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह विचारण को यथासंभव शीघ्रता से, अधिमानतः एक वर्ष की अवधि के भीतर, पूर्ण करने का प्रयास करे।

04 जून, 2026

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)